

र्ड पास

(अन्य राज्य से म. प्र. आने हेतु)

पास क्रं: लॉक डाउन/ई पास//बेतूल/BESA364713

पास जारी करने की दिनांक 08/05/2020

पास धारक का नाम satish

ता at post yenas tah multai dist betul

मोबाइल नं. 6261456883 फोटो परिचय पतु का विवरण (मांगे जाने पर व्हिखाना अनिवार्थ होगा) Aadhar Card

यात्रा का पूर्तभ पूदेश एवं जिला TELANGANA, sanghareddy

यात्रा समाप्ति का जिला

गतव्य स्थल का पता yenas tah multai dist betul ई पास जारी करने का उद्देश्य Personal Emergency-Medical (2d)

स की प्रकृति Round Trip/राउंड ट्रिप

> जिले में आने वाले व्यक्तियों का चिकित्सीय परीक्षण आवश्यक होगा चिकित्सीय परीक्षण उपरान्त संदिग्ध कोराना पोजिटिव पाये जाने पर अनिवार्यत 14 दिवस के लिए Institutional quarantine व असंदिगध पाये जाने पर Home uarantine कराया जाना आवशयक होगा। इन सभी यातियों को

असंदिग्ध पाये जाने पर Home uarantine कराया जाना आवश्यक होगा। इन सभी यातिृयों को आरोग्य सेतु एप/सार्थक ऐप डाउन लोड कराया जावेगा। सभी संबंधित सोशल डिसर्टेसिंग का पालन करे, वापस आने पर सरकार की गाईड लाईन का पालन करना होगा यह अनुमित कन्टेनमेंट ऐसिया में जाने के लिये नहीं हैं

सहयात्रिओ के नाम

टिप्पणी

नाम	आयु	लिंग	संबंध	आईडी पूमाण पूकार	वन वे/राउंड ट्रिप
satish pawar	34	Male	Driver	Aadhar Card	Both
ramkishan pawar	35	Male	Husband	Aadhar Card	Both



प्राधिकृत अधिकारी,ADITI YADAV,DY. COLLECTOR म. पू.

नोट

- 1. इस पास का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण मान्य होगा /पिंट आउट रखना अनिवार्य नहीं है |
- 2. इस ई पास में दर्शाये गए फोटो परिचय पत्र की प्रति साथ में रखना अनिवार्य होगा ।
- 3. यह ई पास अहस्तांतरणीय है ।
- 4. पास पर दिये गये कृयू आर कोड (QR Code) की सहायता से ई पास के वैधता की जॉच की जा सकती है। इस हेतु म. प्र. शासन के मोबाइल ऐप "एमपी मोबाइल" का प्रयोग किया जा सकता है।
- 5. ई साइन की स्थिति में पदमुद्रा आवश्यक नहीं है ।
- 6. पास धारक को कोविड-19 से बचाव के लिए भारत शासन और/अथवा मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
- 7. पास धारक को अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच कर स्थानीय प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य होगा ।
- 8. ई पास धारक को यात्रा प्रारंभ जिले से गंतव्य जिले के बीच आने वाले अन्य जिलों से गुजरने हेतु पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी ।
- 9. अन्य राज्य में याता हेतु ई पास धारक को यह सलाह दी जाती है कि वे याता के पूर्व गंतव्य राज्य एवं जिले से अपनी याता की स्वीकृति प्राप्त कर लें । असुविधा की स्थिति में म. पू. शासन उत्तरदायी नहीं होगा ।

